



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत अपराधियों के चिन्हित अभियोग में अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या के अभियुक्तगण को मा० न्यायालय द्वारा ०८ वर्ष का कठोर कारावास तथा २०००० ₹ अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक ०४.०६.२०१५ समय १२.३० बजे अभियुक्तगण द्वारा वादी के भतीजी को दहेज के लिये प्रताड़ित करना तथा गले में रस्सी से कस कर हत्या कर देने पर मु०अ०सं० १९८/२०१५ धारा ४९८ए/३०४बी भादवि थाना मुन्शीगंज जनपद अमेठी पर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक १०.०४.२०२६ को माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी-०१ सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को ०८ वर्ष का कठोर कारावास २०,०००/- ₹० अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- ❑ अभियुक्तों को ०८ वर्ष का कठोर कारावास।
- ❑ अभियुक्तों को २०,०००/- रुपये अर्थदण्ड।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र सुरेश नारायण निवासी पूरे शोभा मजरे दुलापुर कला थाना मुन्शीगंज जनपद अमेठी।
- अतुल उर्फ विधा अलंकार पुत्र अनिल निवासी पूरे शोभा मजरे दुलापुर कला थाना मुन्शीगंज जनपद अमेठी।



एडीजीसी श्री
दानवीर वर्मा



पैरोकार हे०का०
उबैदुरहमान

